

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर - 492002
// आदेश //


नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित पर्यवेक्षक (पुरुष) को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :-

क्र०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	आधार
1	2	3	4	5
1	श्री रामकुमार रामटेके	प्राथ. स्वा. केन्द्र नगरी, जिला धमतरी	सेक्टर किलकिला (पथलगांव) जिला जशपुर	प्रशासनिक
2	श्री गोविन्द सिंह	सेक्टर सेलुद, सामु.स्वा.केन्द्र पाटन जिला दुर्ग	सामु.स्वा.केन्द्र अहिवारा जिला दुर्ग	स्वयं के व्यय पर
3	श्री कृपाराम ठाकुर	सामु.स्वा.केन्द्र मोहला जिला राजनांदगांव	सेक्टर घोटिया जिला बालोद	स्वयं के व्यय पर
4	श्री मुन्नुलाल देवांगन	प्राथ.स्वा.केन्द्र अजूनी जिला राजनांदगांव	सामु.स्वा.केन्द्र घुमका जिला राजनांदगांव	प्रशासनिक

- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानान्तरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानान्तरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।
- 4/ संभाग/जिला संवर्ग (कैंडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वैच्छिक स्थानान्तरण अथवा प्रशासकीय स्थानान्तरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानान्तरित कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उन्हें उक्त स्थानान्तरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानान्तरित स्थल के लिये कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदानुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
- 5/ उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 6/ उपरोक्त स्थानान्तरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एम.एल. ताम्रकार)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर ।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, ।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर ।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर । कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें ।
12. संबंधित कर्मचारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
13. स्टाक फाईल ।

W. J. J.
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग